HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4480/2022

Vijay Kumawat Son Of Shri Bhawar Lal Kumawat,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Purushottam Sharma
For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/03/2026

विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा आज प्रकट किया गया कि इस मामले में याची–अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना–बजाज नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 386/2003 अपराध अन्तर्गत धारा147, 341, 323, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई थी, जिसमें याची–अभियुक्त विजय कुमावत का नाम अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था तथा इस मामले में अन्य अभियुक्तगण देवेन्द्र व पवन शर्मा भी थे। सम्बन्धित थाना–बजाज नगर से इस मामले की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें यह अंकित है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर प्रार्थी–अभियुक्त विजय कुमावत तथा देवेन्द्र व पवन शर्मा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र दिनांक 15.11.2003 को प्रस्तुत किया गया था। उनका तर्क है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा संधारित किए जा रहे अभिलेख (रजिस्टर) में यह आपराधिक प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम देवेन्द्र व अन्य के रूप में दर्ज है, जिसका निर्णय दिनांक 27.9.2007 को किए जाने का अंकन किया हुआ है, किन्तु अभियुक्तगण के सम्बन्ध में क्या निर्णय पारित किया गया, इसका कोई अंकन नहीं है। उनका कहना है कि उनकी ओर से पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु नकल शाखा में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया लेकिन सम्बन्धित नकल शाखा द्वारा पत्रावली तलफ होने की रिपोर्ट दे दी गई। उनका तर्क है कि वास्तव में याची–अभियुक्त के विरूद्ध जो आपराधिक प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–386/2003 पुलिस थाना–बजाज नगर में दर्ज हुआ था, का

निस्तारण हो चुका है। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा परिवादी दिनेश कुमार की भी मृत्यु हो चुकी है तथा अब इस मामले में कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है, परन्तु फिर भी पुलिस थाना–बजाज नगर द्वारा याची–अभियुक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण लम्बित होना दर्शित किया जा रहा है तथा यह तथ्य पुलिस वेरिफिकेशन के हर मामले में याची–अभियुक्त के विपरीत जा रहा है। अतः सम्बन्धित पुलिस थाने को उचित नोट अंकित किए जाने का निर्देश दिया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि मामले में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन इस आपराधिक प्रकरण के निर्णीत होने की कोई रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाना को प्राप्त नहीं हुई है। अतः याचिका में चाहा गया निर्देश नहीं दिया जाये।

सुना गया। विद्वान विचारण न्यायालय से इस प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जाये।

प्रकरण दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /76